

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,  
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर,  
लखनऊ - 226010

संख्या- 22/02/कम्प्यूटर अनुभाग (बारह)/2022/02-परीक्षा/2021

लखनऊ : दिनांक : 26 मई, 2022

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-02-परीक्षा/2021, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2021)/01 के अंतर्गत महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 9212 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 08-05-2022 को आयोजित की गयी थी। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित किये गये 17713 अभ्यर्थियों का परिणाम मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 26-05-2022 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मा0 आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा जेंडर कॉलम में पुरुष (Male) अंकित किया गया है, उन्हें अर्हता/ अभिलेख परीक्षण में औपबन्धिक रूप से इस शर्त के साथ सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है कि विज्ञापित सभी पद महिलाओं के लिए ही निर्धारित हैं, यदि कोई पुरुष अभ्यर्थी अर्हता/ अभिलेख परीक्षण में सम्मिलित होता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

मा0 आयोग द्वारा विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अर्हता/ अभिलेख परीक्षण में औपबन्धिक रूप से इस शर्त के साथ सम्मिलित का निर्णय लिया गया है कि विज्ञापित पद विकलांगजन उपश्रेणी के लिए चिन्हांकित/ आरक्षित नहीं हैं, मेरिट क्रम में आने पर भी इनका चयन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं अध्याचनकर्ता विभाग के निर्णय के अधीन होगा।

उल्लेखनीय है कि जांच के अधीन (Under Investigation-U.I.) 02 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन मा0 आयोग के निर्णय के अनुसार औपबन्धिक है।

सूच्य है कि अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अन्तिम चयन परिणाम नहीं है। अतएव अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अन्तिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्हता/ अभिलेखादि परीक्षण के उपरान्त चयन सम्बन्धी अन्तिम परिणाम यथासमय घोषित किया जाएगा।

अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु उक्त परिणाम मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ में योजित रिट याचिका संख्या-ए-7283/2021, संख्या-ए-25/2022, संख्या-ए-3079/2022 अथवा उक्त विज्ञापन से सम्बन्धित योजित/ योजित होने वाली अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णय / आदेश के अधीन होगा।

एतद्वारा संबन्धित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा के आधार पर उपरोक्तानुसार अर्हता/ अभिलेखादि परीक्षण अर्ह घोषित 17713 अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> पर अपलोड कर दिया गया है। सम्बन्धित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Home Page पर उपलब्ध Results Segments** पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित कर अपना परिणाम देख सकते हैं।

(अवनीश संक्सेना)

सचिव।